अतः शासन के कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या– 283/का–4–7–ई0एम0–1981, दिनांक 20.05.1983 मे दिये गये प्राविधानों के दृष्टिगत ही उ0प्र0 लेखपाल संघ के 39 वें महासम्मेलन में उपस्थिति होने वाले सदस्यों को विशेष अवकाश स्वीकृत/घोषित किया जाय।

कृपया तद्नुसार अपने स्तर से संघ के सभी सदस्यो को समय से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी – लखनऊ।

2– श्री अवधेश सिंह चौहान, महामंत्री उ0प्र0लेखपाल संघ कार्यालय डी0सी0रोड सिविल लाइन्स सिकटिया लखीमपुर खीरी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 04–01–2016 के सन्दर्भ में इस आशाय से प्रेषित कि बैठक के संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ से नियमानुसार अनिवार्यता अनुमति प्राप्त कर लें।

(जगदीश प्रसाद)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

फैक्स/ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या– 30(ए)/4– उ0प्र0लेखपाल संघ/2016 दिनांक 20 जनवरी, 2016

विषय– उ0प्र0 लेखपाल संघ के 39 वें महासम्मेलन में उपस्थिति होने वाले सदस्यों को विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 लेखपाल संघ का 39वें महासम्मेलन दिनांक 09–02–2016 दिन मंगलवार समय प्रातः 10.00 बजे से स्थान गॉधी प्रेक्षागृह निकट शहीद स्मारक रेजीडेन्सी के सामने लखनऊ में सम्पन्न होने के साथ ही दिनांक 10.02.2016 को नवीन कार्यकारिणी का गठन भी गोपनीय मतदान द्वारा किया जायेगा।

अवगत कराना है कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघो/परिसंघो आदि के अध्यक्ष सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्यों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में निर्गत शासन के कार्मिक अनुभाक–4 के शासनादेश सं0 283/का–4–7–ई.एम.–1981, दिनांक 20.05.1983 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्रापत सेवा संघो/परिसंसघो आदि के अध्यक्ष, एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 7 (सात) दिन तथा सेवा संघ के कार्यकारिणी के सदस्यों की जिनकी संख्या 5 से अधिक न होगी, कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 4 (चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह सुविधा निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी –

(क) अध्यक्ष एवं सचिव अवकाश प्रार्थना पत्र में सेवा संघ का नाम, संघ मान्यता प्राप्त है या नही, उनके द्वारा पारित पद का नाम, तथा संघ से संबंधित कार्य जिसके निमित अवकाश मांगा गया है, आदि सूचना देते हुये उसे स्वीकृत करायेगें।

(ख) कार्यकारिणी के केवल उन्हीं सदस्यों को प्रार्थना पत्र देने पर यह अवकाश सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लने हेतु बैठक के स्थान से बाहर आयें। स्थानीय सदस्यों को यह सुविधा देय न होगी।

(ग) जिन सेवा संघो के पदाधिकारियों के वार्षिक चुनांव दो वर्ष से अधिक अवधि से नही हुये है, उनके पदाधिकारियों को उक्त सुविधा अनुमन्य न होगी।

(घ) उपरोक्त विशेष आकस्मिक अवकाश की गणना राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले सामान्य आकस्मिक अवकाश अन्य किसी प्रकृति के अवकाश के साथ न की जायेगी।